

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

17.12.2025 के

तारांकित प्रश्न सं. 255 का उत्तर

तिरुपति लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में आरयूबी के कारण जलभराव

\*255. श्री मड्डीला गुरुमूर्ति:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विशेष रूप से तिरुपति लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदा सड़क अधोगामी पुलों (आरयूबी) के कारण हल्की से मध्यम वर्षा के दौरान भी बार-बार जलभराव हो रहा है जिससे वे पैदल चलने वालों, वाहनों और जानवरों के लिए भी खतरनाक हो जाते हैं;
- (ख) यदि हां, तो उन विशिष्ट स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां ऐसी इंजीनियरिंग विफलताओं की सूचनाएं मिली हैं;
- (ग) सरकार द्वारा इन मौजूदा आरयूबी में जल के ठहराव को कम करने के लिए जल निकासी हेतु पुनः डिजाइन/पंप लगाने सहित क्या तात्कालिक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है;
- (घ) क्या सरकार ने इस समस्या के लिए जिम्मेदार डिजाइन संबंधी खामियों की तकनीकी संपरीक्षा/समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) भविष्य में इस प्रकार के जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नए आरयूबी की योजना और कार्य-निष्पादन में क्या सुधार किए गए हैं/किए जा रहे हैं और क्या त्रुटिपूर्ण डिजाइनों के लिए कोई जवाबदेही तय की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) क्या आरयूबी परियोजनाओं में और उनके आस-पास एकीकृत जल निकासी योजना के लिए स्थानीय नगर निकायों के साथ समन्वय सुनिश्चित किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

दिनांक 17.12.2025 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 255 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (च): भारतीय रेल में समपारों के स्थान पर उपरि/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। गाड़ी परिचालन में संरक्षा और गाड़ियों की गतिशीलता तथा सड़क उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव और व्यवहार्यता आदि के आधार पर इनकी प्राथमिकता निर्धारित की जाती है निर्माण कार्य शुरू किए जाते हैं।

2004-14 की तुलना में 2014-25 (अक्टूबर 2025) के दौरान भारतीय रेल में निर्मित उपरि/निचले सड़क पुलों की संख्या निम्नानुसार है:

अवधि	निर्मित आरओबी/आरयूबी
2004-14	4148 अदद
2014-25 (अक्टूबर 2025)	13,653 अदद

01.11.2025 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल में 1,11,583 करोड़ रु. की लागत पर 4689 अदद उपरि/निचले सड़क पुल स्वीकृत किए गए हैं। इनमें आंध्र प्रदेश राज्य में 11,686 करोड़ रु. की लागत पर 316 अदद उपरि/निचले सड़क पुल शामिल हैं, जो नियोजन और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

तिरुपति लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में 208 करोड़ रु. की लागत पर 06 अदद उपरि/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

तिरुपति लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 43 अदद निचले सड़क पुल मौजूद हैं। पिछले मानसून के दौरान, भारी बारिश के समय तीन निचले सड़क पुलों में (गुडूर जंक्शन-रेनिगुंटा जंक्शन खंड में कि.मी. 63/100-200 पर आरयूबी संख्या 85ए, कि.मी. 64/300-400 पर 90ए और कि.मी. 69/900-70/0 पर 95ए) थोड़े समय के लिए जलभराव की समस्या रिपोर्ट की गई थी, जिसका हेवी-ड्यूटी पंपिंग व्यवस्था के प्रावधान से तत्काल समाधान किया गया था। इसके अलावा, स्थायी चौकीदार, चेतावनी संकेत चिन्ह और गेट बैरियर भी लगाए गए हैं।

रेलवे, भूमिगत मार्गों पर एकीकृत जल निकासी के समाधान के लिए नगर निगम निकायों और अन्य स्थानीय निकायों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। इसके अलावा, रेलवे ने भूमिगत मार्ग में जलभराव की समस्या को कम करने के लिए कई उपचारात्मक उपाय किए हैं:

- I. नए निचले सड़क पुल/भूमिगत मार्ग योजना के अभिन्न अंग के रूप में जल निकासी के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।
- II. मौजूदा निचले सड़क पुलों/भूमिगत मार्ग के जल प्रवाह को निकटवर्ती पुल और नालों/नालियों की ओर मोड़ना, पहुंच मार्गों पर कवर शेड का प्रावधान, निचले सड़क पुल के प्रवेश द्वार पर हंप का प्रावधान, क्रॉस नालियों का प्रावधान, ज्वाइंट को सीलबंद करना आदि जैसे उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं जो व्यवहार्यता, उपयुक्तता और साइट की आवश्यकताओं के अनुसार होते हैं।
- III. चिह्नित निचले सड़क पुलों के लिए पम्पिंग की व्यवस्था भी की गई है, ताकि आपातकालीन स्थिति में पानी को शीघ्रता से निकाला जा सके तथा सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए असाधारण/असामान्य वर्षा की स्थिति में सड़क यातायात को रोकने का प्रावधान किया गया है।

निचले सड़क पुलों/भूमिगत मार्गों के विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर, 01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, क्षेत्रीय रेलों द्वारा कुल 14,745 निर्मित निचले सड़क पुलों/भूमिगत मार्गों में से, 2670 स्थान चिह्नित किए गए हैं, जहां जलभराव की संभावना रहती है। रेलवे ने इन निचले सड़क पुलों/भूमिगत मार्गों पर स्थायी सुधारात्मक उपायों का कार्य शुरू किया गया है और सतत प्रयासों से 1351 निचले सड़क पुलों/भूमिगत मार्गों को भविष्य में जलभराव रोकने और इसकी कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए आवश्यक अवसंरचना मुहैया कराई गई है। शेष निचले सड़क पुलों/भूमिगत मार्गों में भी अस्थायी समाधान के तौर पर जल निकासी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, बाढ़ संभावित निचले सड़क पुलों में चौबीसों घंटे पहरेदारी की जा रही है, जिसमें आरयूबी मित्र/स्थायी रेलवे वॉचमैन तैनात किए गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य सभी निचले सड़क पुलों/भूमिगत मार्गों को पूरे वर्ष कार्यशील बनाए रखना है।

\*\*\*\*\*